उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 892–पें०एवंआर०–28 / पाकालि / 22–10(2)–पें०एवंआर० / 01(टीसी–1), दिनांक : 24 जून, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

उ०प्र० के शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1999 की अनुसारिता में निर्गत कार्मिक अनुभाग–2, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या : 18 / 1 / 95–का–2 / टी०सी०–1999, दिनांक 09.09.1999 तथा उ०प्र० शासन विधायी अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 1485–सत्रह–वि–1–1–(क)–23 / 1999, दिनांक 28.07.1999, जिसके द्वारा समूह "ग" व "घ" के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों के 03 प्रतिशत के स्थान पर 05 प्रतिशत हौरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया गया है, को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1679–पें०एवंआर०–28 / पाकालि / 13–10(2)–पें०एवंआर० / 01टीसी–1, दिनांक 12.09.2013 द्वारा अंगीकृत किया गया है।

2. इसी क्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 26 मई, 2022 को सम्पन्न 179वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक / अधिनियम, 2021 की अनुसारिता में निर्गत कार्मिक अनुभाग–2, उ०प्र०शासन के पत्र संख्या : 1 / 2021 / 18 / 1 / 95 / का–2 / 2021, दिनांक 16.03.2021 जिसके द्वारा राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्सम्बन्धी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से उन्हें **समूह "ख"** के पदों पर भी **05 (पाँच) प्रतिशत** आरक्षण प्रदान किया गया है, को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित की सेवाओं में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तद्नुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को **समूह–ख, ग एवं घ में 05 प्रतिशत** हौरिजेण्टल आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 892–पें०एवंआर०–28 / पाकालि / 22 तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
आनन्द
(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव(पें०एवंआर०)